न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण

भील समाज, जीरावल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के प्रतिनिधि सुरेश कुमार पुत्र राणाराम जी भील, परखाराम पुत्र बाबुलालजी भील, प्रकाश पुत्र जोरारामजी भील, चतराराम पुत्र प्रागाजी भील, अरविन्द पुत्र नरसारामजी, जाति–भील, निवासी–जीरावल, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही
(2) श्री जगमाल पुत्र श्री नरींगाराम रेबारी, जाति–रेबारी, निवासी–लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 01/2022

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 24 दिसम्बर, 2024**

(1)) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदेश क्रमांक 1357–58 दिनांक 23.10.1984 से अप्रार्थी श्री जगमाल पुत्र श्री नरींगाराम रेबारी को ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 372 रकबा 05 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन नियमन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर) की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में दिनांक 11.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी सभी भील जाति के व्यक्ति है, जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। ग्राम जीरावल में प्रार्थी के समाज का रामदेवजी का मंदिर आया हुआ है, जिसके पास ही खसरा संख्या 372 की सरकारी बिलानाम भूमि आई हुई है, जिसका रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा है। उक्त खसरा संख्या 372 की 05 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण भील समाज का कब्जा पिछले करीब 100 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार शांतिपुर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी भील समाज के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा संख्या 05 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी भील समाज का कब्जा होने की जानकारी पुरे जीरावल के ग्रामवासियों व आस पास के सभी ग्रामों के निवासीयों को है, फिर भी प्रार्थी भील समाज की भूमि को

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हडपने के आशय से उक्त खसरा संख्या 372 में से रकबा 05 बिस्वा भूमि मकान व बाडा के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) को आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक 1357–58 दिनांक 23.10.1984 से आवंटन/नियमन किया गया है तथा उक्त आदेश के अनुसार नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) के नाम से दर्ज किया गया है। उक्त आवंटन/नियमन सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध तरीके से छलपुर्वक किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) ग्राम लुणाल में निवास करते है तथा ग्राम जीरावल में उनका बाडा या मकान कभी भी नहीं रहा है तथा न ही ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 372 की भूमि के मौके पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) का कब्जा रहा है एवं न ही मौके पर कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 2(जगमाल) को ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 372 की भूमि में किस स्थान पर भूमि का नियमन किया गया है वह दर्शित नहीं है। ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 372 एक बहुत बडा चक हैं, जिसमें निर्विवाद रूप से अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) का कोई बाडा या मकान बना हुआ नहीं है। प्रार्थी भील समाज के कब्जे की उक्त भूमि पिछले कई वर्षों से राजकीय बिलानाम दर्ज है। प्रार्थी के नाम से पूर्व में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की गई थी लेकिन प्रार्थी भील समाज को कभी भी उक्त भूमि के मौके से बेदखल नहीं किया गया है, प्रार्थी भील समाज का विवादित भूमि पर आवंटन/नियमन आदेश जारी होने से पूर्व से कब्जा होने के कारण कानूनन उक्त भूमि का नियमन अप्रार्थी संख्या 2(जगमाल) के नाम से नही हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 जगमाल पुत्र नरींगाराम रेबारी, निवासी–लुणोल का उक्त खसरा संख्या 372 की भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पटवारी हल्का व अन्य राजस्व अधिकारीयों ने इस संबंध में पुर्व में कई बार जांच की है एवं जांच में उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) का कोई कब्जा नहीं होना पाया गया है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी के समाज के लोगों का ही कब्जा पाया गया है। अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगाराम रेबारी, निवासी–लुणोल तथा उसके सहयोगीयों ने प्रार्थी भील जाति समुदाय के लोगों के कब्जे की उक्त भूमि को हड़प करने के बेईमानीपुर्ण आशय से तहसीलदार, रेवदर तथा अन्य राजस्व कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके प्रार्थी भील समाज के कब्जे की भूमि का गलत व विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी भील समाज की जानकारी के बिना तरमीम करवा दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के पास इस बात की कोई साक्ष्य नहीं थी कि अप्रार्थी संख्या 2 जगमाल रेबारी को भूमि किस स्थान पर आवंटित की गई थी तथा आवंटित भूमि पर कभी भी जगमाल पुत्र नरींगाराम रेबारी का कब्जा नहीं रहा था, फिर भी अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगाराम रेबारी को अनुचित फायदा पहुँचाने के आशय से बिना कब्जे के ही प्रार्थी भील समाज के कब्जे की भूमि का नियमन किया गया है। यह कि ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 372 की 05 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) के हक में नियमन आदेश केवल कागजों में जारी किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग करने के बावजुद भी प्रार्थी भील समाज को नकल नही दी गई है। अप्रार्थी संख्या 2(जगमाल) का मौके पर कोई कब्जा नही होने तथा कोई बाडा या मकान मौके पर नहीं होने से अप्रार्थी जगमाल कानुनन नियमन की पात्रता नहीं रखता था। अप्रार्थी संख्या 2 को विवादित भूमि का आवंटन करने से पूर्व राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के आज्ञापक प्रावधानों की भी कोई पालना ही नहीं की गई है और अप्रार्थी संख्या 2(जगमाल) को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से गुपछुप तरीके से उक्त भूमि का नियमन आवंटन आदेश जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) तथा उसके परिवारजन द्वारा प्रार्थी भील समाज के कब्जे में उक्त नियमन आदेश की आड में दखल की जा रही है और अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) ने अपने प्रभाव से भूमि का गलत तरीके से तरमीम करवा दिया है और प्रार्थी भील समाज को बेकब्जा कर प्रार्थी भील समाज की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किया जा रहा है। अतः प्रार्थी भील समाज, जीरावल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) के हक में जारी आवंटन / नियमन आदेश क्रमांक 1357—58 दिनांक 23.10.1984 को एवं इस आवंटन नियमन आदेश से ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 372 में रकबा 05 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी संख्या 2(जगमाल) को किया गया आवंटन नियमन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 2(जगमाल) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जीरावल में प्रार्थी के समाज का रामदेवजी का मंदिर आया हुआ है, लेकिन रामदेवजी मंदिर के पास ही खसरा संख्या 372 की सरकारी बिलानाम भूमि स्थित नही होकर उक्त भूमि मंदिर से दूर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जीरावल के पास भूमि आई हुई हैं। भील समाज का खसरा संख्या 372 की 5 बिस्वा भूमि पर कब्जा कभी भी नहीं रहा है। खसरा संख्या 372 एक बड़ा चक है। प्रार्थी का खसरा संख्या 372 के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं रहा हैं खसरा संख्या 372 के भाग 372 / 904 पर कब्जा आधिपत्य अप्रार्थी संख्या 2 का है एवं अप्रार्थी संख्या 2 खसरा संख्या 372 / 904 का रेकर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त भूमि का तहसीलदार, रेवदर के नियमन आदेश क्रमांक 1357—58 दिनांक 23.10.1984 से नियमन होने से आज से करीब 39 वर्ष पूर्व नामान्तरकरण दर्ज होकर भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज किया गया था। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 की उम्र करीब 80 वर्ष हैं एवं वक्त नियमन आदेश अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम जीरावल में निवास करते थे एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 लूणोल गांव में निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 का खसरा संख्या 372 / 904 की भूमि पर ऊँटो का बाड़ा था एवं वक्त नियमन से आज दिन तक उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का ही कब्जा आधिपत्य रहा है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र को पेश करने की हैसियत भी नहीं रखते है और न ही यह कानून में प्रार्थी समाज की Locus Standi है। अप्रार्थी संख्या 2 को ग्राम जीरावल में खसरा संख्या 372 की भूमि 372 / 904 पर नियमन किया गया है जिसकी चतुदर्शी में उत्तर में हरिया नाला, दक्षिण में नाला बीड में जाने का रास्ता, पूर्व में लुम्बाराम पुत्र प्रेमाजी कलबी का बाडा व मकान, पश्चिम में रेबारी वास जीरावल में जाने का रास्ता आया हुआ है। खसरा संख्या 372 / 904 में अप्रार्थी संख्या 2 का बाड़ा बना हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थी भील समाज के कब्जे की भूमि कभी भी नहीं रही है। प्रार्थी भील समाज का कभी भी खसरा संख्या 372 की भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही कब्जा बाबत् कोई दस्तावेज प्रार्थी भील समाज के पास है। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त खसरा संख्या 372 / 904 पर विगत 40—45 वर्षों से निर्बाध कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त कब्जा शुदा भूमि आज से करीब 39 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से नियमन हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भील जाति समुदाय के लोगों के कब्जे की भूमि को हडप नहीं किया है और न ही गलत तरमीम करवाई है। अप्रार्थी संख्या 2 का जिस स्थान पर कब्जा था उसी स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विधि अनुसार नियमन व तरमीम की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 को उसके कब्जे के आधार पर खसरा संख्या 372 में 372 / 904 रकबा 05 बिस्वा भूमि नियमन व तरमीम की गई है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का पूर्व में ऊंटो का बाडा था एवं वर्तमान में उक्त बाड़ा पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा आधिपत्य है। अप्रार्थी संख्या 2 नियमन का पात्र व्यक्ति होने से राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना कर ही भूमि आवंटन व नियमन की गई है। प्रार्थीगण द्वारा भीड़ के बल के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जेशुदा व रेकर्डेड खातेदारी की भूमि को हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है एवं इसी आशय से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध करीब 39 वर्ष बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब का कोई वैध आधार प्रार्थी द्वारा नहीं बताया गया है। खसरा संख्या मूल 372 में

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

कुल रकबा 29—13 बीघा है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा अन्य कोई खातेदार नहीं है यानि उक्त खसरे में केवल और केवल एकमात्र खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 जगमाल पुत्र नरींगाजी रेबारी ही है। अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 372/904 रकबा 05 बिस्वा में दिनांक 31.01.2022 को प्रार्थीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास करने का दुस्साहस किया गया था जिसकी रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र उमाराम द्वारा पुलिस थाना रेवदर में दी गई थी उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना, रेवदर ने अपराध संख्या 19 दिनांक 01.02.2022 को दर्ज किया एवं बाद अनुसंधान पुलिस थाना, रेवदर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण सहित करीब 22 लोगों के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवदर की अदालत में अन्तर्गत धारा 143, 341, 447 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 28.04.2023 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि कानून में अतिक्रमियों को कोई हक अधिकार प्रदान नहीं किये गये है। अतिक्रमी हमेशा बेदखली के योग्य होता है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण भीड़ के माध्यम से येन केन प्रकारेण जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि को कानून हाथ में लेकर हथियाना चाहते है। जबकि खसरा संख्या 372 पर कभी भी भील समाज का कब्जा नही रहा है एवं न ही प्रार्थी भील समाज द्वारा पुराने कब्जे का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि के अप्रार्थी संख्या 2 को खातेदारी प्रदान किये जा चुके है एवं नियम 14 (4) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार निरस्त नहीं किये जा सकते है। अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटन कपट, मिथ्या, दुर्व्यपदेशन द्वारा नहीं किया गया है और न ही प्रार्थी का भी इस संबंध में कोई आरोप है। अप्रार्थी संख्या 2 ने किसी भी आज्ञापक शर्तो का उल्लंघन नही किया है एवं न ही प्रार्थी ने ऐसा साबित किया है। यदि किसी भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया जाता तो वह बेदखल करने का हकदार होता है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (जगमाल) के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2018(2) DNJ (Raj.) 726, 2006(1)DNJ(Raj.) 498, 2005(2) DNJ (Raj.) 786, 2008(2) RRT 835, 2007(2) RRT 1081, RRD 1987 Page 54, RRD 2009 Page 747 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या—2 को उक्त भूमि का आवंटन नियमन हुये करीब 39 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूमि नियमन आवंटन के बाद भूमि के खातेदारी अधिकारी भी दिये जा चुके है। उक्त भूमि का आवंटन नियमन होने के इतने लम्बे समय की अवधि के बाद व खातेदारी अधिकार दिये जाने के बाद भूमि का आवंटन नियमन कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है तथा खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत कानूनन कार्यवाही भी नही की जा सकती है तथा न ही इस कार्यवाही में आवंटन नियमन को निरस्त किया जा सकता है। अतिक्रमण के मामलों में अतिक्रमित भूमि आवंटन हेतु खाली व आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि मानी जाती है व अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि में कोई अधिकार पैदा नही होते है। भूमि जिस व्यक्ति को आवंटित हुई है वह आवंटि ही सद्भाविक व बोनाफाईड कृषक माना जाता है। प्रार्थीगण न तो हितबद्ध व्यक्ति है एवं न ही प्रार्थीगण की कानूनन Locus Standi है। अतः प्रार्थी भील समाज का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि जगमाल पुत्र नरींगा जी, जाति— रेबारी को ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 372 में रकबा 5 बिस्वा भूमि का नियमन हुई थी एवं वर्तमान में खसरा संख्या 372/904 रकबा 0.05 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि जगमाल पुत्र नरींग रेबारी के नाम से खातेदारी की भूमि दर्ज है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

जगमाल पुत्र नरींगा जी, जाति– रेबारी को ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 372 में रकबा 5 बिस्वा भूमि का नियमन हुआ था एवं नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 18.6.1985 के द्वारा उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगा जी, जाति– रेबारी, निवासी– जीरावल के नाम से किस्म वाडा दर्ज की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि जमाबंदी संधारण के दौरान गैर खातेदार के रुप दर्ज हुई एवं गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 01.12.2010 के द्वारा दिये गये, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1302 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 372/904 रकबा 0.05 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि जगमाल पुत्र नरींगा रेबारी के नाम से खातेदारी की भूमि दर्ज है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में भोमाराम, बाबुलाल, रमेश कुमार, अर्जुन पिसरान शंकर जी पुरोहित तथा भील समाज जरिये रमेश पुत्र मफा व अन्य के विरुद्ध ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 372 रकबा 4.07 बीघा किस्म खा.ख. भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 01/2020 की आदेशिका की छाया प्रति एवं तहसीलदार, रेवदर (भू.अ.), रेवदर के पत्र क्रमांकःभू.अ./2022/288 दिनांक 09.2.2022 से जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित रिपोर्ट आदि की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार, रेवदर के उक्त पत्र क्रमांकःभू.अ./2022/288 दिनांक 09.2.20222 के बिन्दु संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि जगमाल पुत्र नरींग रेबारी को बिलानाम भूमि खसरा संख्या 372 में से 0.05 बीघा भूमि नियमन हुई, जिसका वर्तमान जमबांदी में खसरा संख्या 372/904 रकबा 0.05 बीघा किस्म खाल खद्दर है तका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 18.6.1985 के द्वारा अमल दरामद हुआ। कॉलम–14 तत्कालीन पटवारी जीरावल की टिप्पणी "पूर्व में नियमानुसार सनद वसूल हो चुकी है एवं किस्म वाडा दर्ज हे। नियमन होने की पुष्टि करता है न कि आवंटन की।" परन्तु नई जमाबन्दी के संधारण के दौरान गैर खातेदार के रुप में दर्ज किया गया, जबकि नियमन में सीधा खातेदार दर्ज होता है। तहसीलदार, रेवदर के उक्त पत्र क्रमांक 288 दिनांक 09.2.2022 के बिन्दु संख्या 5 में यह भी अंकित किया गया है कि गैर खातेदार से खातेदारी हक तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 01.12.2010 के द्वारा दिये गये, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1302 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। तहसीलदार, रेवदर के उक्त पत्र क्रमांक 288 दिलांक 09.2.2022 के बिन्दु संख्या 6 में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त विवादित स्थल पर जगमाल पुत्र नरींग रेबारी का कब्जा नही होना पाया गया तथा विवादित स्थल पर तारबंदी भील समाज की ही थी एवं बिन्दु संख्या 7 में यह अंकित भी किया है कि उक्त विवादित स्थल पर भू राजस्व अधियिम की धारा 91 के तहत अतिक्रमण रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय तहसीलदार, रेवदर को दी गई। जिस पर अतिक्रक्रमयों को नोटिस देकर बेदखली आदेश दिये। बेदखली आदेश की पालना में दिनांक 28.12.2020 को अतिक्रक्रमयों को मौके से भौतिक रुप से बेदखल किये। तहसीलदार, रेवदर के उक्त क्रमांक 288 दिनांक 09.2.2022 के बिन्दु संख्या 7 में अंकित अनुसार तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक 817 दिनांक 02.6.2021 की पालना में भूमि की तरमीम की गई है।

चूंकि प्रार्थीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगा जी रेबारी को खसरा संख्या 372 में रकबा 0.05 बीघा भूमि नियमन किये जाने के पूर्व से प्रार्थी भील समाज का इस भूमि पर कब्जा रहा हो एवं उक्त भूमि नियमन आवंटन के समय मौके पर खाली भूमि नही हो। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि उक्त भूमि पर यदि प्रार्थी भील समाज

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

का कब्जा रहा भी है तो वह केवल अतिक्रमी की हैसियत से रहा है। जबकि अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगा जी रेबारी को खसरा संख्या 372 में रकबा 0.05 बीघा भूमि का नियमन वर्ष 1984 में हुआ है एवं नामान्तरकरण संख्या 569 दिनांक 18.6.1985 के द्वारा उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगा जी, जाति– रेबारी, निवासी– जीरावल के नाम से किस्म वाडा दर्ज की गई। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में उक्त भूमि गैर खातेदार के रुप में दर्ज होने से तहसीलदार, रेवदर द्वारा वर्ष 2010 में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगा जी रेबारी को प्रदान किये जा चुके है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदारी की भूमि के संबंध राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है एवं न ही खातेदारी भूमि का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। साथ ही, तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी जगमाल पुत्र नरींगा जी रेबारी के पक्ष में नियमन आवंटन की गई भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही